न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14/2020
प्रविष्टि दिनांक 7–2–2020

प्रभू पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी ग्राम रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला– टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 11–12–2019

उपस्थिति : (1) श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी अभिभाषक अपीलान्ट (अनुपस्थित)
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 25–11– 2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 11–12–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाबी भूमि में बाड़ा व परावंडा बनाकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के वितरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पारित निर्णय में यह तो अंकित कर दिया कि प्रकरण सं0 1086/19 से बेदखल कर दिया परन्तु उस पत्रावली का इस पत्रावली में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, [illegible] उक्त दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है। अपीलान्ट को एक मात्र गवाह [illegible] से [illegible] करने का कोई अवसर नहीं दिया तथा किसी भी साक्ष्य की साक्ष्य पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक की उसको प्रतिपरीक्षा से नहीं गुजरना पड़े तथा इस मामले में साक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:53:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। जिससे भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का भूमि खसरा नम्बर 1109रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोहित पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है न ही पूर्व में कोई कब्जा किया हैं हल्का पटवारी ने बिना कब्जे के ही अपीलान्ट के विरूद्व रिपोर्ट करदी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट के साथ न्याय किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाब की भूमि पर बाड़ा व बरावडां बना कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्धारानत्रावली सं0 1033/17 दिनांक 25–10–2017 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.01 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाब की भूमि पर बाड़ा व बरावडां बना कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्धारा बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने भूमि के अतिक्रमण बाबत सख्त कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये थे तत्पश्चात तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय पारित किया गया है। वैसे भी उक्त विवादित भूमि गै0मु0 तालाब है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है तथा धारा 16 में वर्णित भूमियां न तो नियमन की जा सकती है न ही आवण्टन की जा सकती है और न इन पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 11–12–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:53:47 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक